रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062020-219693
CG-DL-E-03062020-219693

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2020/ज्येष्ठ 8, 1942
No. 256] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2020/JYAISTHA 8, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2020

सा.का.नि. 333(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी कार्य प्रशासन विभाग (समूह क, ख और ग पद) भर्ती नियम, 1962, जहां तक ये नियम पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से संबंधित हैं, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, के सिवाय कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मुख्यालय में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मुख्यालय में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं एवं उससे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में यथा-विनिर्दिष्ट होंगे।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या,

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सहमत है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अ-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	1* (2019) *कार्यभार आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन, द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) अथवा प्रोन्नति]

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणी जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है। यदि हां, तो उसकी संरचना	परिस्थितियों में जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) अथवा प्रोन्नति: केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा विश्वविद्यालयों अथव मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा स्वायत्तशासी निकायों अथवा कानूनी संगठनों के वे अधिकारी जो .- (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हों, अथवा (ii) वेतन-मैट्रिक्स (35400 रुपये-112400 रुपये) में स्तर-6 अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नानुसार शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :- आवश्यक : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि। (ii) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्तशासी अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थान में पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। वांछनीय अर्हताएं : (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और (2) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। टिप्पण 1 : ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में विभागीय पुस्तकालय सूचना सहायक और प्रतिनियुक्त आधार पर नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखने वाले पर बाह्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और इस पद पर नियुक्ति हेतु यदि विभागीय अभ्यर्थी का चयन किया जाता है तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं.ए-15011/2/2012-प्रशा.I]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2020

G.S.R. 333(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Company Law Administration (Group A, B and C Posts) Recruitment Rules, 1962, in so far as they relate to the post of Librarian, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Library and Information Officer in the Headquarter of the Ministry of Corporate Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Assistant Library and Information Officer, Group'B' Post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Assistant Library and Information Officer.	1*(2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' ,Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 (Rs. 44900-142400).	Not applicable .	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By composite method [deputation (including short-term contract) or promotion].

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a department Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract) or promotion : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Autonomous Bodies or Statutory Organisations, – (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in level-6 in pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as below :- Essential: (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute; and (ii) Two years professional experience in a Library under the Central or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognized Research or Educational Institution. Desirable Qualifications: (1) Masters Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute; and (2) Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. . Note 1: The Departmental Library Information Assistant in level-6 in the pay matrix with five years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall be considered along with outsiders and If the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary .

promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short -term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-15011/2/2012-Ad.I]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2020

सा.का.नि. 334(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उद्योग मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1987 जहां तक ये सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मुख्यालय में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्.-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं एवं उससे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में यथा-विनिर्दिष्ट होंगे।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या,

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सहमत है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	1* (2019) *कार्यभार आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक न हो। टिप्पण 1 : केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा के अवधारित के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्थिति जिले और चम्बा जिले का पंगी उप-प्रभाग, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्विप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन, द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री वांछनीयः मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। अनुभवः केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्तशासी अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थान में पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार लिखित की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा को शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1: पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर होने या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य किन्हीं परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक की अवधि पर अनुपस्थित होने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के सहरा पदों पर नियमित आधार पर धारण करते हो और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हो। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन में या विभाग में हुए नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की आयु-सीमा आदेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणी जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है। यदि हां, तो उसकी संरचना	भर्ती करने के किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति में निम्नलिखित से मिल कर बनेगी : 1 निदेशक या उप सचिव (प्रशासन)-अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन-I) – सदस्य; 3 अवर सचिव (प्रशासन-II)-सदस्य; 4 अवर सचिव (सतर्कता)-सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं.ए-15011/2/2012-प्रशा.I]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2020

G.S.R. 334(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Industry, Department of Company Affairs, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1987, in so far as they relate to the post of Assistant Librarian, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Headquarter of the Ministry of Corporate Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Library and Information Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2019.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Assistant	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6 (Rs. 35400-112400)	Not applicable	Not exceeding thirty years. **Note1:** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information science from a recognized University or Institute. Desirable: Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. Experience: Two years professional experience in a Library under the Central Government or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognized Research or Educational Institution. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise	Not applicable	Two years	By direct recruitment **Note 1:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7). **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			**Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	**If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(11)	**(12)**	**(13)**
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of: 1. Director or Deputy Secretary (Administration)- Chairman; 2. Under Secretary (Administration-I)- Member; 3. Under Secretary (Administration-II) – Member; 4. Under Secretary (Vigilance) – Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary

[F. No. A-15011/2/2012-Ad.I]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2020

सा.का.नि. 335(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय पुस्तकालय और सूचना अधिकारी समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं एवं उससे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (7) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति.-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू व्यक्तिगत विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष, प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तरों**	**चयन पद अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय सूचना अधिकारी	1*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, गैर-अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन, द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	मिश्रित पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) अथवा प्रोन्नति]

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, यदि हां तो, उसकी संरचना क्या है।**	**परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
मिश्रित पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)	समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति में	मिश्रित पद्धति द्वारा पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग के

तथा प्रोन्नति] केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था अथवा स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन के ऐसे अधिकारी जो:- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर सात (रु. 44900-142400) पद पर नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात् की गई उस ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य; और (ख) शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव निम्नानुसार धारित करता हो:- आवश्यक:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि (ii) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्तशासी अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थान में पुस्तकालय में पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव। वांछनीय अर्हताएं : (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और (2) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। (3) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार या स्वायत्त अथवा कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन किसी पुस्तकालय में पुस्तकालय कार्यकलापों को कंप्यूट्रीकृत करने का एक वर्ष का अनुभव। (4) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित विषयों में कार्य करने का एक वर्ष का वृत्तिक अनुभव। **टिप्पण 1:** वेतन मैट्रिक्स स्तर 7 में विभागीय सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी इस ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा सहित और प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि विभागीय अभ्यर्थी उस पद के लिए नियुक्ति हेतु चयनित किया जाता है, तो इसे पदोन्नति द्वारा भरा हुए माना जाएगा। **टिप्पण 2 :** इस नियुक्ति के तत्काल पश्चात् उसी अथवा किसी अन्य संगठन या केंद्रीय सरकार के विभाग ने धारित पद दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर लघु संविधा सहित प्रतिनियुक्ति अवधि सहित लघु संविदा सहित प्रतिनियुक्ति साधारणतया चार वर्ष से	निम्नलिखित अधिकारी होंगे: 1. सचिव – अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन)- सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव-सदस्य।	साथ परामर्श करना आवश्यक है।

अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविधा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं.ए-15011/2/2012-प्रशा.I]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2020

G.S.R. 335(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Officer in the Headquarter of the Ministry of Corporate Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Library and Information Officer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2019.

(4) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (7) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special category of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Officer	1* (2019) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial	Level 11 (Rs. 67700-208700)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By composite method [deputation (including short-term contract) or promotion]

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Composite method [deputation (including short-term contract) plus promotion]: Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Autonomous Bodies or Statutory Organisation,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with seven years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as below :- Essential: (i) Bachelor’s Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute; and (ii) Five years professional experience in a Library under the Central or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public	Group ‘A’ Departmental Confirmation Committee consisting of: 1. Secretary – Chairman; 2. Joint Secretary (Administration) – Member; 3. Director or Deputy Secretary – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while filling the post by composite method.

Sector Undertakings or University or Recognised Research or Educational Institution. Desirable: (1) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute (2) Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute (3) One year experience of computerising Library activities in a Library under the Central or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution. (4) One year professional experience in dealing with subjects relating to the Ministry of Corporate Affairs. **Note 1:** The Departmental Assistant Library and Information Officer in level-7 in the pay matrix with seven years regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall be considered along with outsiders and if the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** The period of deputation including short-term contract including the period of deputation including short-term contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-15011/2/2012-Ad.I]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.f ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.03 19:14:28 +05'30'